# बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

## 68वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग–अलग सेवाओं/संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों (आरक्षण कोटिवार) के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचनानुसार 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद/सेवा निम्नांकित सारणी 01 में दर्शायी गयी है:–

**सारणी – 01**

| क्र. सं. | विभाग/पद/संवर्ग का नाम | वेतनमान | आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ | | | | | | | कुल पद | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी | दिव्यांग | न्यूनतम उम्र | अधिकतम उम्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अनारक्षित (01) | अनुसूचित जाति (02) | अनुसूचित जनजाति (03) | अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04) | पिछड़ा वर्ग (05) | पिछड़े वर्गों की महिला (06) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07) | | | | | |
| | | | महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | |
| 1. | पुलिस उपाधीक्षक, **गृह विभाग (आरक्षी शाखा)** | Level -9 | 01 | 00 | 01 | 02 | 04 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 20 वर्ष | अनारक्षित (पुरुष) – 37 वर्ष |
| | | | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | | 00 | 02 | | | | |
| 2. | जिला समादेष्टा, **गृह विभाग (विशेष शाखा)** | Level -9 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 20 वर्ष | |
| | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 00 | | | | अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) – 40 वर्ष |
| 3. * | जिला अग्निशमन पदाधिकारी, **गृह विभाग (आरक्षी शाखा)** | Level -9 | 07 | 03 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 19 | 00 | VI – 01 | 20 वर्ष | |
| | | | 03 | 01 | 00 | 01 | 01 | | 00 | 06 | | | | |
| 4. | काराधीक्षक, **गृह विभाग (कारा)** | Level -9 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 22 वर्ष | |
| | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 00 | | | | |
| 5. | राज्य–कर–सहायक आयुक्त (बिहार वित्त सेवा), **वाणिज्य–कर–विभाग** | Level -9 | 02 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 07 | 00 | 00 | 22 वर्ष | |
| | | | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | | 00 | 03 | | | | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) – 42 वर्ष |
| 6. | अवर निर्वाचन पदाधिकारी, (बिहार निर्वाचन सेवा) **निर्वाचन विभाग** | Level -9 | 03 | 01 | 00 | 02 | 01 | 00 | 01 | 08 | 00 | 00 | 22 वर्ष | |
| | | | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | | 00 | 02 | | | | |
| 7. | अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक, **मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग** | Level -9 | 10 | 04 | 00 | 02 | 01 | 01 | 02 | 20 | 00 | OH - 01 | 22 वर्ष | |
| | | | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | | 01 | 05 | | | | |
| 8. | श्रम अधीक्षक, **श्रम संसाधन विभाग** | Level -9 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 22 वर्ष | |
| | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 00 | | | | |
| 9. | नियोजन/जिला नियोजन पदाधिकारी, **श्रम संसाधन विभाग** | Level -9 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 22 वर्ष | |
| | | | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 01 | | | | |
| 10. | प्रोबेशन पदाधिकारी, **गृह विभाग (कारा)** | Level -9 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 21 वर्ष | |
| | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 00 | | | | |
| 11. | सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ, **सहकारिता विभाग** | Level -9 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 04 | 00 | 00 | 22 वर्ष | |
| | | | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 01 | | | | |
| 12. | सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, **समाज कल्याण विभाग** | Level -9 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 | 22 वर्ष | |
| | | | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | | 00 | 02 | | | | |
| 13. | ईख पदाधिकारी, **गन्ना उद्योग विभाग** | Level -9 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 22 वर्ष | |
| | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 00 | | | | |
| 14. | बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग), शिक्षा विभाग | Level -9 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 22 वर्ष | |
| | | | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | | 00 | 02 | | | | |
| 15. | श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, **श्रम संसाधन विभाग** | Level -7 | 17 | 02 | 00 | 06 | 07 | 00 | 03 | 35 | 01 | DD - 01 | 21 वर्ष | |
| | | | 05 | 01 | 00 | 02 | 01 | | 01 | 10 | | | | |
| 16. | अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, **परिवहन विभाग** | Level -7 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 21 वर्ष | |
| | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 00 | | | | |
| 17. | ग्रामीण विकास पदाधिकारी (बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग), **ग्रामीण विकास विभाग** | Level -7 | 04 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 07 | 00 | 00 | 21 वर्ष | |
| | | | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 01 | | | | |
| 18. | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, **पंचायती राज विभाग** | Level -7 | 20 | 05 | 01 | 03 | 07 | 00 | 04 | 40 | 01 | VI – 01<br>MD - 01 | 21 वर्ष | |
| | | | 05 | 02 | 00 | 01 | 02 | | 01 | 11 | | | | |
| 19. | राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार राजस्व सेवा), **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग** | Level -7 | 22 | 05 | 00 | 03 | 05 | 00 | 04 | 39 | 01 | OH – 01<br>MD - 01 | 21 वर्ष | |
| | | | 05 | 02 | 00 | 01 | 02 | | 01 | 11 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | आपूर्ति निरीक्षक, (बिहार आपूर्ति सेवा), **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग** | Level -7 | 08 | 03 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 14 | 00 | MD - 01 | 21 वर्ष | |
| | | | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | | 00 | 03 | | | | |
| 21. | प्रखंड अनु॰ जाति एवं अनु॰ जनजाति कल्याण पदाधिकारी, (बिहार अनु॰ जाति एवं अनु॰ जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग), **अनु॰ जाति एवं अनु॰ जनजाति कल्याण विभाग** | Level -7 | 23 | 11 | 01 | 11 | 07 | 01 | 06 | 60 | 01 | VI - 01<br>DD - 01 | 21 वर्ष | |
| | | | 08 | 03 | 00 | 03 | 02 | | 01 | 17 | | | | |
| **Total :** | | | **129** | **39** | **04** | **38** | **39** | **05** | **25** | **281** | **04** | VI – 03<br>DD – 02<br>OH – 02<br>MD - 03 | | |
| | | | **36** | **13** | **01** | **12** | **10** | | **05** | **77** | | | | |

* क्र॰सं॰– 03 में वर्णित पद के लिए मान्यताप्राप्त संस्थान से केवल विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक (अग्नि अभियंत्रण) अथवा यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री मान्य है।

नोटः– I. दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:– VI – दृष्टि दिव्यांग, DD – मूक बधिर दिव्यांग, OH – चलन दिव्यांग, MD – मनोविकार दिव्यांग/बहुदिव्यांग

II. **प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।**

II. **उक्त विज्ञापन के लिए भरे गये आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है।**

टिप्पणीः 1. उपर्युक्त संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाईन (online) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

2. **शैक्षिक योग्यताः–**

ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को :–

(i) सारणी – 01 में वर्णित क्रम संख्या 01 से 21 (क्र॰सं॰– 03 को छोड़कर) तक के पद के लिए मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से **स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा** में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है

(ii) सारणी – 01 में वर्णित क्रम संख्या 03 पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए मान्यताप्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक (अग्नि अभियंत्रण) अथवा यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है।

ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के **कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा।**

3. **आरक्षणः–**

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(C) **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(D) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या– 2622, दिनांक– 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

(iv) **आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।**

**आरक्षण कोटि निम्नवत् है :–**

| क्र.सं. | आरक्षण कोटि | ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि | कोटि कोड |
|---|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) | SC | 02 |
| 2. | अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) | ST | 03 |
| 3. | अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class) | EBC | 04 |
| 4. | पिछड़ा वर्ग (Backward Class) | BC | 05 |
| 5. | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) | EWS | 07 |

(v) (क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 962, दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों (Persons with Benchmark Disability) को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में चिकित्सा पर्षद से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

**अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।**

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या– 10668, दिनांक 29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा– 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक की सुविधा अनुमान्य करायी जा सकेगी। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाईन आवेदन के कंडिका– 3 में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342, दिनांक– 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2526, दिनांक– 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 11687, दिनांक– 30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।**

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या– 2622, दिनांक– 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची - I (प्रपत्र - I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। **आय एवं परिसम्पति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए बैध माना जायेगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे।**

**अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरते समय किये गये दावा के अनुसार सभी निर्गत किये गये प्रमाण पत्र की संख्या एवं तिथि मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) के समय मुख्य परीक्षा के आवेदन में अंकित प्रमाण पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए साक्षात्कार दिवस के पश्चात कोई समय देय नहीं है।**

**सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (संशोधन किये जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक) के पूर्व का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। स्नातक प्रमाण–पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।**

**4. उम्र सीमाः–**

दिनांक 01.08.2022 को न्यूनतम उम्र सेवावार, 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)– 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)– 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)– 42 वर्ष। सारणी – 01 में अंकित सेवाओं में क्रम संख्या 01 से 03 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष, क्रम संख्या 10, 15 से 21 तक की सेवाओं के लिए 21 वर्ष तथा क्रम संख्या 04 से 09 एवं 11 से 14 तक की सेवाओं के लिए 22 वर्ष होना अनिवार्य है।

**आयोग द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।**

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519, दिनांक 10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 524, दिनांक 13.01.2022 में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम तीन अवसरों की सीमा लागू रहेगी।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 13107, दिनांक 20.09.2019 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक) जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 962, दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(iv) 01 जनवरी, 1963 के बाद एन॰सी॰सी॰ में भर्त्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट/अनुदेशकों को एन॰सी॰सी॰ से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन ऊपर कंडिका 1 में उल्लिखित सेवाओं में पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन॰सी॰सी॰ में पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र, किसी विशिष्ट सेवा या पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि वे उन सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्तें पूरी करते हैं।

(v) कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(vi) भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई॰सीओज/एस॰एफ॰सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे पदों पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई॰सीओज/एस॰एफ॰सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त–समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्त्ते कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।

(vii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई॰सीओज/एस॰एफ॰सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई॰सीओज/एस॰एफ॰सीओज सहित) की कारा सेवा हेतु अधिकतम उम्र सीमा तीन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पाँच वर्ष अधिक होगी।

(viii) सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने अथवा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि से छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

(ix) निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(x) **उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही–सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा।**

5. **शारीरिक क्षमता :–**

उम्मीदवार स्वस्थ, सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों का भली भाँती पालन करने में बाधा हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह नियुक्ति के लिए नहीं चुना जायेगा।

बिहार पुलिस सेवा/जिला समादेष्टा/जिला अग्निसमन पदाधिकारी के लिए पुरूष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 5 ईंच और न्यूनतम छाती की माप, बिना फुलाये, 32 (बत्तीस) ईंच होनी चाहिए। परन्तु, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपर्युक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 3 ईंच तथा छाती की माप, बिना फुलाये, 31 (एकतीस) ईंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 2 ईंच होनी चाहिए। उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी विनियमावली **(परिशिष्ट 'ख')** में प्रकाशित है।

6. **शुल्क :–**

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए– 600/– (छः सौ) रूपये

(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 150/– (एक सौ पचास) रूपये

(iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए– 150/– (एक सौ पचास) रूपये

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए– 150/– (एक सौ पचास) रूपये

(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 600/– (छः सौ) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि से से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला उम्मीदवार कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगता एवं महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी) के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र एवं बिहार राज्य की स्थायी महिला निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य की स्थायी महिला निवासी कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।

**7. फोटो पहचान पत्र (Photo ID) :–**

उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन भरते समय अपने फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड संख्या अंकित करना आवश्यक है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की संख्या अंकित कर सकते है। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट किये गये फोटो पहचान पत्र को परीक्षा/साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

## 8. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना

### I. प्रारम्भिक परीक्षा (भाग-1) :–

(i) संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।

(ii) **प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) लागू किया जायेगा।**

(iii) प्रारंभिक परीक्षा महज जाँच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की दस (10) गुणी होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा।

(iv) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ–व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।

(v) इस प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 962, दिनांक–22.01.2021 के द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

### II. मुख्य (लिखित) परीक्षा (भाग-2) :–

मुख्य (लिखित) परीक्षा तीन विषयों की होगी, जिसमें दो अनिवार्य विषय क्रमशः I. सामान्य हिन्दी – 100 अंक, इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी तथा सामान्य अध्ययन (पत्र–1 एवं पत्र–2 ), प्रत्येक पत्र 300 अंकों के होंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों के विषय कोड– 04 से विषय कोड– 37 तक में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का ही चयन करना होगा, जो 300 अंकों का होगा। प्रत्येक विषय की परीक्षा तीन घंटे की होगी।

(क) अनिवार्य विषय एवं उनके कोडः–

1. सामान्य हिन्दी (01)
2. सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02)
3. सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03)

**(ख) ऐच्छिक विषय की सूची एवं उनके कोडः–**

| क्रम संख्या | विषय | Subject | विषय कोड |
|---|---|---|---|
| 1. | कृषि विज्ञान | Agriculture | 04 |
| 2. | पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान | Animal Husbandry & Veterinary Science | 05 |
| 3. | मानव विज्ञान | Anthropology | 06 |
| 4. | वनस्पति विज्ञान | Botany | 07 |
| 5. | रसायन विज्ञान | Chemistry | 08 |
| 6. | सिविल इंजीनियरिंग | Civil Engineering | 09 |
| 7. | वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि | Commerce & Accountancy | 10 |
| 8. | अर्थशास्त्र | Economics | 11 |
| 9. | विद्युत इंजीनियरिंग | Electrical Engineering | 12 |
| 10. | भूगोल | Geography | 13 |
| 11. | भू–विज्ञान | Geology | 14 |
| 12. | इतिहास | History | 15 |
| 13. | श्रम एवं समाज कल्याण | Labour and Social Welfare | 16 |
| 14. | विधि | Law | 17 |
| 15. | प्रबन्ध | Management | 18 |
| 16. | गणित | Mathematics | 19 |
| 17. | यांत्रिक इंजीनियरिंग | Mechanical Engineering | 20 |
| 18. | दर्शन शास्त्र | Philosophy | 21 |
| 19. | भौतिकी | Physics | 22 |
| 20. | राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध | Political Science And International Relations | 23 |
| 21. | मनोविज्ञान | Psychology | 24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22. | लोक प्रशासन | Public Administration | 25 |
| 23. | समाज शास्त्र | Sociology | 26 |
| 24. | सांख्यिकी | Statistics | 27 |
| 25. | प्राणी विज्ञान | Zoology | 28 |
| 26. | हिन्दी भाषा और साहित्य | Hindi Language & Literature | 29 |
| 27. | अंग्रेजी भाषा और साहित्य | English Language & Literature | 30 |
| 28. | उर्दू भाषा और साहित्य | Urdu Language & Literature | 31 |
| 29. | बंगला भाषा और साहित्य | Bangla Language & Literature | 32 |
| 30. | संस्कृत भाषा और साहित्य | Sanskrit Language & Literature | 33 |
| 31. | फारसी भाषा और साहित्य | Persian Language & Literature | 34 |
| 32. | अरबी भाषा और साहित्य | Arabic Language & Literature | 35 |
| 33. | पाली भाषा और साहित्य | Pali Language & Literature | 36 |
| 34. | मैथिली भाषा और साहित्य | Maithili Language & Literature | 37 |

**टिप्पणी–** **(i) मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन भरते समय ही उम्मीदवार को वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा एवं इस संबंध में सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

**(ii) प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क (मुख्य परीक्षा हेतु) विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा।**

**(iii) मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित प्रमाण पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण–पत्र के सामने प्रमाण–पत्र की संख्या एवं निर्गत तिथि अंकित करना आवश्यक है अन्यथा आवेदन अपूर्ण माना जायेगा।**

**(iv) मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा Matriculation प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार से निर्गत स्नातक या समतुल्य डिग्री/औपबंधिक प्रमाण पत्र (Provisional Certificate), अनुसूचित जाति/जनजाती का जाति प्रमाण पत्र/अत्यंत पिछडा वर्ग/पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र/स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र/बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण पत्र/दिव्यांगता प्रमाण पत्र/अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत संख्या एवं तिथि अंकित करते हुए Submit करना आवश्यक है अन्यथा आवेदन अपूर्ण माना जायेगा।**

**(ग)** (i) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।

(ii) सभी भाषेत्तर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंगेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी। मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन भरते समय भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। भाषा चयन के पश्चात किसी प्रकार का बदलाव मान्य नहीं होगा।

(iii) प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश/उद्धृत अंश, यदि कोई है, का, चुनी गई भाषा के साथ, अंग्रेजी रूपान्तरण दे सकते हैं। इससे भिन्न स्थिति होने पर ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं को मान्य करने/नहीं करने के संबंध में आयोग निर्णय लेगा।

(iv) कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 10668, दिनांक–29.06.2022 के द्वारा मुख्य (लिखित) परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

(v) मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढाई (2½) गुणा होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जायेगा।

**III. व्यक्तित्व परीक्षण (भाग-3) :–**

**(i) मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा।**

**(ii) व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाये जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।**

## अधिमानता का चुनाव :–

**साक्षात्कार के समय अधिमानता कोड एवं सेवा/पद का नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से करेंगे तथा रिक्त कॉलम को स्पष्टतः क्रॉस (×) करेंगे। जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जायेगी, उस पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।**

**स्वास्थ्य परीक्षण:–**

**व्यक्तित्व परीक्षण के पश्चात सभी उम्मीदवारों की आयोग में गठित चिकित्सक बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य है। उक्त जाँच के समय नकद 16/रू. (सोलह रूपया) मात्र जमा करना अनिवार्य है। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच के बाद यदि उम्मीदवार विहित सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह उस सेवा के नियुक्ति के लिए नहीं चुना जायेगा।**

**(ii) आयोग बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी (PwBD) द्वारा दावा किये गये दिव्यांगता की परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र होगा एवं परीक्षणोंपरांत प्राप्त दिव्यांगता प्रतिशत अनुमान्य किया जायेगा।**

**<u>मेधा सूचीः–</u>**

**(i) मुख्य परीक्षा के 900 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक कुल– 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जायेगा।**

**(ii) अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य (लिखित) परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है उसे मेधा क्रम में उपर रखा जायेगा। मुख्य (लिखित) परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित किया जायेगा, वैकल्पिक विषय का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधाक्रम में स्थान दिया जायेगा।**

**(iii) मेधाक्रमानुसार उम्मीदवारों द्वारा भरी गयी सेवा अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर पद का आवंटन किया जायेगा।**

**(iv) आयोग सफल उम्मीदवार को विज्ञापन में वर्णित किसी भी सेवा/पद के लिए अनुशंसित करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है तथा जिसके लिए आयोग उसे योग्य समझता है।**

9. वैसे अभ्यर्थी प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

**10. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जबावदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर आपकी अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**

**11. <u>उम्मीदवारों का मंतव्य :–</u>**

68वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र के कंडिका – 16 (Column-16) में निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर अभ्यर्थियों का मंतव्य लिया जा रहा है, जिनमें से अभ्यर्थी को किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा :–

(i) Negative marking should be on limited number of questions selected proportionately from all sections according to their relative level of difficulty. For example, if 50 out of 150 questions i.e. 1/3 questions are selected for negative marking, then 1/3 questions from each section shall be selected. Such selected questions should have 2 marks for correct answer and -1/2 for wrong answer.

(ii) As above (1) but such selected questions should have same 1 mark for correct answer and -1/4 for wrong answer.

(iii) Negative marking should be uniformly on all the 150 questions. In this case, there will be 1 mark for correct answer and -1/4 for wrong answer.

यह मंतव्य मात्र कार्यालय में संधारणार्थ है। मंतव्य के आधार पर कोई निर्णय लेना/नहीं लेना आयोग का क्षेत्राधिकार होगा।

**12. <u>ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:–</u>**

(i)

| | |
|---|---|
| **ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि** | **दिनांक 25.11.2022** |
| **ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि** | **दिनांक 20.12.2022** |

(ii) ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

(A) रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को Edit करने का Option रहेगा, जो Payment करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी किसी भी प्रविष्टि (नाम, पिता/पति/माता, आरक्षण कोटि इत्यादि) को Edit करने का प्रावधान रहेगा।

(B) **Payment करने एवं Application Submission किये जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गयी प्रविष्टि को पुनः Edit कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद दस दिन (दिनांक– 30.12.2022 तक) का समय दिया जायेगा।**
परन्तु वे निम्न प्रविष्टियों में परिवर्तन नहीं कर सकेंगेः–

(i) जिन प्रविष्टियों से Fee का निर्धारण प्रभावित होता हैः–

(क) बिहार के मूलवासी Female अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी Female होने के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

(ख) बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

(ग) 40% अथवा उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले Disabled Category के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद दिव्यांगता के प्रतिशत के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

(ii) Payment करने के बाद अभ्यर्थी को नाम, पिता/ पति/माता के नाम में Edit करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं को छोड़कर शेष Fields में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकेंगे।

वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर–रियायती परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन किया है, यदि वे बाद में Edit करके रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में जाते हैं, तो उनके द्वारा Examination Fee के भुगतान की गयी अधिक राशि वापस नहीं होगी।

वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का लाभ लेते हुए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वे Edit करके दूसरे गैर–रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक अपने Registration को रद्द कर सकता है तथा उसी मोबाईल/ई–मेल से दूसरा Registration एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। वैसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

**ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) **उक्त Edit करने की तिथि के बाद ऑनलाईन आवेदन के डाटा में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।** इसकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है:–

| सुधार/परिवर्तन हेतु प्राप्त बिन्दु | आयोग का निर्णय |
|---|---|
| आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग (Gender), आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि, भूतपूर्व सैनिक, बिहार राज्य के सरकारी सेवक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, पत्राचार का पता, स्थायी पता, अन्य डाटा जैसे:– फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता, अनुभव इत्यादि में परिवर्तन/सुधार (Edit) के संबंध में। | (क) ऑनलाईन आवेदन के दौरान Edit की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार (Edit) के अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।<br>(ख) आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक द्वारा भरे गये डाटा को अंतिम समझा जायेगा।<br>(ग) उम्मीदवार द्वारा भरे गये डाटा और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/कागजात में कोई भिन्नता आती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। |
| मोबाईल/ई–मेल में परिवर्तन/सुधार (Edit) के संबंध में। | एक बार Registration हो जाने के बाद परिवर्तन/सुधार संभव नहीं है। अतः उक्त संबंध में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। |
| एक से अधिक आवेदन करने या भरने के संबंध में। | Registration में गलत विवरण अंकित हो जाने की स्थिति में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक Registration को रद्द कर सकता है तथा उसी मोबाईल/ई–मेल से दूसरा Registration एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। वैसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा। |
| एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में। | किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा। |

(iv) **उम्मीदवार, नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।**

(v) **ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. अंकित नहीं करेंगे।**

(vi) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाईन भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

(vii) **इन्टरनेट या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।**

(viii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। **उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।**

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या– 10668, दिनांक 29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा– 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक की सुविधा अनुमान्य करायी जानी है। बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार (PwBD) द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन की कंडिका 3(i) में अंकित श्रुतिलेखक की मांग करने पर ही उन्हें श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा।

(x) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करने समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(xi) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

13. <u>महत्वपूर्ण निर्देश :–</u>

(i) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध **"Download Filled Application Section"** से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र मूल में निश्चित रुप से प्रस्तुत करना होगा।

(ii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा अभ्यर्थी/आवेदक को प्रवेश–पत्र नहीं निर्गत किया जायेगा और न ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

(iii) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा।

(iv) योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है।

(v) <u>अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल में साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा</u>। प्रमाण पत्र मूल में साक्षात्कार के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्द होगी तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(vi) <u>आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप उपलब्ध हैं</u>।

(vii) इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

(viii) उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निदेश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(ix) आवेदक द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के पूर्व आवेदक पुनः सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा की गई प्रविष्टि सही है। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

14. इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम (Syllabus) आयोग के वेबसाईट <u>www.bpsc.bih.nic.in</u> पर उपलब्ध है।

16.11.22

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना